प्रायवेट पायलट लायसेंस नियम,2003

विमानन विभाग
मंत्रालय

प्रायवेट पायलट लायसेंस नियम,2003

क्रमांकःएफ 4–1/2003/पैंतालीस/ भोपाल,दिनांक 25 जून,2003

1 **संक्षिप्त नामः–** यह नियम मध्य प्रदेश के आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों (अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग) के लिये पीपीएल म नियम,2003 कहलायेंगे तथा यह नियम जारी होने की दिनांक से प्रभावशील होंगे ।

2 **क्षेत्रः–** आरक्षित वर्ग के अभ्यार्थियों को प्रायवेट लायसेंस प्राप्त करने के लिये राज्य शासन उड्डयन छात्रवृत्ति प्रदान करेगा । प्रशिक्षण मध्यप्रदेश फ्लाइंग क्लब के इन्दौर बेस एवं भोपाल शाखा में दिया जावेगा ।

3 **न्यूनतम् अर्हतायें :–** आरक्षित वर्ग के केवाल वे ही उम्मीदवार इस छात्रवृत्ति के पात्र होंगे जो :–

(1) जो मध्यप्रदेश के मूल निवासी हो,
(2) आरक्षित वर्ग के ऐसे उम्मीदवार जो वर्ष की 1 जनवरी को 17 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हो, तथा अविवाहित हो, इसके लिये पात्र होगे । अधिकतम आयु सीमा 27 वर्ष होगी ।
(3) ऐसे उम्मीदवार जिन्होने 60 उडान घंटो का प्रशिक्षण पूर्ण नहीं किया हो ।
(4) ऐसे उम्मीदवार जिन्होने 10़2 हायर सेकेन्ड्री अथवा समकक्ष परीक्षा गणित एवं भौतिक शास्त्र विषयों में उत्तीर्ण की हो,
(5) ऐसे उम्मीदवार जिनके माता–पिता / माता–पिता के जीवित न होने की स्थिति में अभिभावक की वार्षिक कर योग्य आय रूपये 2.50 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिये ।

4 **छात्रवृत्ति की सीमाः–** प्रत्येक छात्रवृत्ति की सीमा राज्य शासन द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जावेगी, जो 60 घंटे होगी ।

5 **छात्रवृत्ति की संख्या :–** अधिकतम कुल 7 उड्डयन छात्रवृत्तियां प्रतिवर्ष आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारो को दी जा सकेंगी जिनमें 3 अनुसूचित जनजाति, 2 अनुसूचित जाति एवं 2 अन्य पिछडा वर्ग के उम्मीदवारो के लिये होगी ।

6 **चयनः–**

1. उम्मीदवारों का चयन एक लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जायेगा । परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों को मेरिट में उनके प्राप्तांक के आधार पर साक्षात्कार केलिये आमंत्रित किया जायेगा । साक्षात्कार में बुलाये जाने वाले अभ्यार्थियों की संख्या कुल छात्रवृत्यिों के 5 गुना से अधिक नहीं होगी ।

2. पीपीएल छात्रवृत्ति के लिये,उम्मीदवारों का अंतिम चयन,निम्न समिति द्वारा किया जायेगाः–

अ.	संभागीय आयुक्त,इंदौर/भोपाल (फलाईंग क्लब के इंदौर/भोपाल बेस के लिये)	अध्यक्ष
ब.	संचालक विमानन	सदस्य
स.	नियंत्रक,उड़ान योग्यता (मध्यप्रदेश में महानिदेशक,नागर विमानन के प्रतिनिधि)	सदस्य
द.	मध्य प्रदेश फलाईंग के मुख्य उड़ान प्रशिक्षक	सदस्य
इ.	मानसेवी सचिव,म.प्र.फलाईंग क्लब,इंदौर	सदस्य

3. प्रत्येक बेस/शाखा के लिये अलग–अलग चयन सूची बनाई जावेगी । चयन के लिये मान्य उम्मीदवारों की संख्या के 50 प्रतिशत उम्मीदवारों की प्रतीक्षा सूची भी,तैयार की जावेगी ।

7. चयनित उम्मीदवारों की शैक्षणिक अर्हता,जाति प्रमाण पत्र,मूल निवासी प्रमाण पत्र तथा आय प्रमाण पत्र की जांच कराई जावेगी ।

2. <u>**राज्य शासन का अनुमोदनः–**</u> उक्त समिति द्वारा अनुशंसित सूची राज्य शासन को अनुमोदन के लिये प्रस्तुत की जावेगी तथा राज्य शासन द्वारा छात्रवृत्ति जारी की जा सकेगी

3. **चिकित्सीय जॉचः–** राज्य शासन की उड्डयन छात्रवृत्तियों के लिये चयनित उम्मीदवार,इंडियान एयरक्राफट रूल्स के अंतर्गत 'प्रायवेट पायलट लायसेंस' के लिये शारीरिक उपयुक्तता रखते हों,वे मध्य प्रदेश फलाईंग,इंदौर द्वारा नामांकित चिकित्सीय अधिकारी के समक्ष जॉच के लिये उपस्थित होंगे तथा चिकित्साधिकारी की जॉच फीस का भुगतान संबंधित उम्मीदवार द्वारा वहन किया जावेगा । चिकित्सीय जॉच में उपयुक्त नहीं पाये जाने पर,प्रतीक्षा सूची के उम्मीदवार को छात्रवृत्ति स्वीकृत करने का विचार किया जा सकेगा ।

4. **प्रशिक्षण की अवधिः–** छात्रवृत्ति की अवधि वास्तविक उड़ान की तिथि से 1 वर्ष के लिए होगी जो राज्य शासन द्वारा किसी भी रूप में,सक्षम कारणों से, 2 वर्ष से अधिक नहीं की जावेगी ।

5. **छात्रवृत्ति के चार्जेज का भुगतानः–** राज्य शासन द्वारा प्रत्येक उम्मीदवार के चयन प्रशिक्षण के चार्जेज,मध्य प्रदेश फलाइंग क्लब,इंदौर द्वारा देयक प्रस्तुत करने पर मध्य प्रदेश फलाइंग क्लब इंदौर को भुगतान किये जावेंगे ।

6. **चयनित उम्मीदवार क्लब के नियमों के अंतर्गत होंगेः–** चयनित उम्मीदवार मध्य प्रदेश फलाइंग के सदस्य/केडेट प्रशिक्षण के दौरान होंगे और फलाइंग क्लब के नियमों के अधीन रहेंगे । उम्मीदवार मध्य प्रदेश फलाइंग क्लब को नियमानुसार सदस्यता शुल्क चिकित्सा जॉच शुल्क तकनीकी परीक्षा शुल्क तथा अन्य इस प्रकार की फीस/शुल्क स्वयं वहन करेंगे

7. **छात्रवृत्ति का व्यपवर्तनः–** उम्मीदवार प्रशिक्षण की अवधि में संतोषप्रद रहेंगे । उम्मीदवार के अंसतोषप्रद प्रदर्शन अथवा अन्य कारणों से राज्य शासन द्वारा छात्रवृत्ति समाप्त की जा सकेगी तथा राज्य शासन का निर्णय अंतिम होगा ।

8. **दुर्घटना के लिये शासन की जिम्मेदारी नहीं होगीः—** राज्य शासन किसी भी रूप में प्रशिक्षण,या अन्य किसी भी कारण से प्रशिक्षणार्थी के दुर्घटनाग्रस्त होने/हुई हानि के लिये जिम्मेदार नहीं होगा । यह हानि संबंधित प्रशिक्षणार्थी की जवाबदारी होगी ।

9. इन नियमों के प्रभावशील होने पर पूर्ववर्ती नियम एवं तत्संबंधी समस्त आदेश समाप्त हुये माने जायेंगे ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(आर.एन.बैरवा)
सचिव,म.प्र.शासन, विमानन विभाग